कार्यालय नगर आयुक्त
पत्र सं० 14339/RTY
दि० 24.10.09
नगर निगम, लखनऊ

2275 17-7-12

पत्र सं0 2286/9–7–2009/21बी

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनु0–7 लखनऊ, दिनांकः 13 अक्टूबर, 2009

विषयः नगर निगमों के नगर आयुक्तों को मण्डल व जिलास्तर पर आहूत होने वाली बैठकों में भाग लेने हेतु आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासन के पूर्व पत्र संख्या–3204/9–7–2004–21बी/04, दिनांक 02 अगस्त, 2004 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मण्डल अथवा जिलास्तर पर आयोजित बैठकों में प्रायः नगर आयुक्तों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने की अपेक्षा की जाती है तथा अन्यथा की स्थिति में अनावश्यक पत्राचार किया जाता है तथा उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही तक की जाती है । इस संबंध में सूचित करना है कि नगर आयुक्त, नगर प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अधिकारी हैं , जिनके समय का उपयोग नगर में निवास करने वाले जनसामान्य की सुख–सुविधायें यथा पेयजल, मलजल की निकासी, ड्रेनेज, सड़क, सफाई, पथ प्रकाश, सर्विस कर की वसूली इत्यादि के संबंध में होना अपेक्षित है। नगरों की जनसमस्याओं को देखते हुए यह आवश्यक है कि नगर आयुक्तों को उनके द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले दायित्वों के लिए पर्याप्त समय दिया जाये । अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि सामान्यतया नगर आयुक्तों को व्यक्तिगत रूप से भाग लेने हेतु तभी बुलाया जाय जब उनकी उपस्थिति अत्यन्त अनिवार्य हो ।

अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि समस्त नगर आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

21.10.09
(विपिन कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव